

कार्यालय, जनसूचना अधिकारी, नगरपालिक निगम चिरमिरी,

जिला-कोरिया (छोगो)

क्रमांक / 197 / ज०सू०अधि०-05 / न०पा०नि० / 2014  
प्रति,

चिरमिरी, दिनांक 29/04/14

श्री जगदीश युईके,  
योजना शाखा प्रभारी,  
नगरपालिक निगम चिरमिरी,  
जिला-कोरिया (छोगो)

**विषय :-** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत जानकारी के संबंध में।


**संदर्भ :-** आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 29.04.2014।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सदंर्भित पत्र अनुसार आवेदक श्रीमती कुंती पति भईयालाल, वार्ड क्र०-18 मोहन नगर, चिरमिरी, जिला-कोरिया (छोगो) के आवेदन पत्र अनुसार स्व-सहायता समूह, से संबंधित जानकारी चाही गई है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है की आप 05 कार्य दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपरोक्त जानकारी सत्यापित कर प्रदाय करें, आपके द्वारा प्रदाय की गई जानकारी सही एवं पूर्ण सत्य हो जानकारी असत्य होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं जानकारी समयसीमा के अन्दर प्रदाय करना शुनिश्चित करें। बिलम्ब होने की स्थिति में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5-(5) के तहत जनसूचना अधिकारी आप कहलाएंगे।

**नोट :-** कृपया आवेदक के आवेदन पत्र का अवलोकन कर जानकारी प्रदाय करें।

**सलग्न :-** आवेदिका का आवेदन पत्र।

  
आर.के.चौबे


जन सूचना अधिकारी  
नगरपालिक निगम चिरमिरी  
जिला-कोरिया छोगो

चिरमिरी, दिनांक 29/04/14

पृ०क्र० / 198 / ज०सू०अधि०-05 / न०पा०नि० / 2014  
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमती कुंती वार्ड क्र०-18 मोहन नगर 10 नं हल्दीबाड़ी, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ।
2. श्री गोपाल कुमार वैद्य (स्टेनो प्लेसमेन्ट) वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

11

  
आर.के.चौबे

जन सूचना अधिकारी  
नगरपालिक निगम चिरमिरी  
जिला-कोरिया (छोगो)

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी

कार्या.-नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ0ग0)

आवेदन पत्र अंतर्गत-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

संलग्न-पंजीयन शुल्क भा.पो,आ, क्र.-

राशि-10 रु0 की मूलप्रति

- नोट:-
1. उक्त अधिनियम की धारा-6(3)(अ) और (ब) के अनुसार प्रस्तुत आवेदन संबंधित विभाग को अंतरिम की जा सकती है और यह अंतरण आवेदन प्राप्ति से 5 दिनों के भीतर कर इस अंतरण की एक प्रति मुझे देना होगा।
  2. छ0ग0 शासन के आदेश क्र-3610/जी.1646 दि.-30.12.2011 व 44/जी. 1646 दि.-09.01.2013 के अनुसार जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने जबाव/प्रदान की गयी जानकारी में अपना नाम अवश्य लिखें।

महोदय,


मोहन नगर (वार्ड क्र.-18) हल्दीबाड़ी चिरमिरी में कार्यरत ज्योतिमर्य महिला स्व सहायता समूह आपके प्रशासकीय नियंत्रण में है, इस कारण यह आवेदन आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वांछित जानकारी संबंधित से आहूत कर प्रदान किया जाय।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2013 से आज (जानकारी प्रदान किये जाने के दिनांक तक) उक्त स्व. सहायता समूह के लेने देने संबंधी समस्त रजिस्टर, समीति के बैठकों में लिये गये निर्णयों जिसमें सभी सदस्यों का हस्ताक्षर हो, कब-कब कितना कितना राशि निकाला गया और उससे क्या-क्या कार्य किया गया। इस प्रमाण पत्र के साथ कि प्रदान किया गया जानकारी सत्य व सही है उक्त से संबंधित समस्त जानकारी मय दस्तावेज प्रदान करना सुनिश्चित करें।

चिरमिरी

दिनांक-29.04.2014

आवेदक



कुंती


पति-भईयालाल

वार्ड क्र.-18

मोहन नगर 10 नं.

हल्दीबाड़ी, चिरमिरी

जिला-कोरिया छ0ग0

  
जन सूचना अधिकारी  
मोहन नगर चिरमिरी  
29/4/14